भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 117
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

जेल नियमावली को अद्यतन बनाना

117. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग(एनसीडब्ल्यू) के दल ने नवंबर 2017 से मई 2018 के बीच विभिन्न जेलों का दौरा किया है और सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनसीडब्ल्यू ने सिफारिश की है कि महिला कैदियों के मामले में जेल नियमावली का अद्यतन किया जाना अनिवार्य है और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और बिस्तर, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सिफारिशें गृह मंत्रालय को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गृह मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और महिला कैदियों की दशा सुधारने के लिए की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का पालन करने के लिए मंत्रालय द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए या उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : जी, हां । राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने नवम्बर, 2017 से मई, 2018 तक 18 जेलों का निरीक्षण किया । निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी गईं ।

(ख) : राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला कैदियों के लिए अलग-अलग बिस्तर/ऊंचे प्लैटफार्म तथा शौचालयों सहित साफ-सफाई की अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए जाने के बारे में पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की सिफारिश की थी ।

(ग) : 'कारावासों/जेलों/अभिरक्षा गृहों का निरीक्षण' के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आयोग द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई थी, जो उन्हें अगस्त, 2018 में प्राप्त हुई ।

(घ) : चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'कारावास' तथा 'उनमें रखे गए व्यक्ति' राज्य के विषय हैं, इसलिए इस रिपोर्ट की प्रतियां उपयुक्त कार्रवाई करने तथा जेलों में महिला कैदियों की दशा में सुधार करने के लिए सिफारिशों पर कार्रवाई करने हेतु 2.11.2018 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गईं ।

*****